बंजर भूमि: विकास एवं प्रबंधन
कृषि कुंभ (सितंबर, 2023),
खण्ड 03 भाग 04, पृष्ठ संख्या 81–83

बंजर भूमि: विकास एवं प्रबंधन

आशीष कुमार वर्मा[1], श्याम नारायण पटेल[2] एवं अमन वर्मा[3]
[1]शोध छात्र (शस्य विज्ञान),
[2]शोध छात्र (पादप रोग विज्ञान),
[3]शोध छात्र (कृषि प्रसार शिक्षा),
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०), भारत।
Email Id: ashishverma9787@gmail.com

बंजर भूमि क्या है?

बंजर भूमि वह भूमि है जिसका उपयोग या तो कृषि, वानिकी या चारागाह के लिए नहीं किया जाता है या वह भूमि जिसका उपयोग विभिन्न बाधाओं के कारण अपनी इष्टतम क्षमता के अनुसार नहीं किया जा रहा है। अदूरदर्शी विकास नीतियों के माध्यम से भूमि संसाधनों के बढ़ते दुरुपयोग के कारण भी बंजर भूमि का निर्माण हुआ है। देश का आधे से अधिक भूमि क्षेत्र विभिन्न प्रकार के क्षरण की तीव्रता वाली बंजर भूमि के रूप में पड़ा हुआ है।

बंजर भूमि कितने प्रकार की होती है?

भारत में बंजर भूमि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

1. **कृषि योग्य बंजर भूमि:** इसमें कृषि, पशुचारण या वानिकी उद्देश्यों के लिए विकास की क्षमता है। पानी की कमी, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता, मिट्टी का कटाव, जल जमाव या प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति या मानव उपेक्षा जैसी कुछ बाधाओं के कारण वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि इन अंतर्निहित समस्याओं का समाधान हो जाए तो इन भूमियों का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के रेह, भूर, ऊसर और खोला क्षेत्र और कई अन्य राज्यों के कई अन्य क्षेत्र इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि कुल भूमि संसाधनों का 15 मिलियन हेक्टेयर (5%) है।
2. **गैर–कृषि योग्य बंजर भूमि:** यह बंजर और बंजर भूमि है जिसमें पहाड़, रेगिस्तान आदि शामिल हैं, जिनका कृषि, वानिकी या पशुचारण उद्देश्यों के लिए किसी भी उत्पादक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। गैर–कृषि योग्य बंजर भूमि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20 मिलियन हेक्टेयर (6%) है।

भारत में कुल बंजर भूमि 53 मिलियन हेक्टेयर है और इनमें जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और मध्य प्रदेश हैं।

बंजर भूमि निर्माण के कारण क्या हैं?

कम उर्वरता, चट्टानीपन, मिट्टी का उथलापन, लवणता, क्षारीयता और दलदलीपन के कारण बंजर भूमि को

किसी भी उत्पादक उद्देश्य में नहीं लगाया जाता है। पर्याप्त वर्षा या सिंचाई सुविधाओं की कमी और भूमि के स्वामित्व की कमी भी भूमि को अप्रयुक्त छोड़ने के अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं। ये समस्याएँ मानव निर्मित हैं। इन जमीनों का उपयोग उनकी क्षमता पर विचार किए बिना किया जाता है। अत्यधिक चराई, पेड़ों की कटाई और स्थानांतरित खेती के कारण बंजर भूमि का निर्माण होता है जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी का कटाव होता है। अनुचित सिंचाई प्रबंधन के कारण मिट्टी खारी और जल जमाव वाली हो जाती है। हालाँकि, कुछ भूमि प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे चट्टानीपन, उथली गहराई आदि के कारण अनुत्पादक हैं।

बंजर भूमि विकास समय की आवश्यकता क्यों है?

बंजर भूमि विकास ग्रामीण गरीबों के लिए आय का एक स्रोत प्रदान करता है। यह स्थानीय उपयोग के लिए ईंधन, चारे और लकड़ी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोककर और नमी का संरक्षण करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। बंजर भूमि का विकास क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता हैय वन आवरण में वृद्धि स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखती है। पुनर्जीवित वनस्पति आवरण पक्षियों को आकर्षित करने में मदद करता है जो आसपास के खेतों में कीटों को खाते हैं और इस प्रकार प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पेड़ नमी बनाए रखने और सतह के बहाव को कम करने में मदद करते हैं और इस प्रकार मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करते हैं।

वनस्पति आवरण तापमान में दैनिक भिन्नता को कम करता है। यह सापेक्ष आर्द्रता को बढ़ाता है और प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग करके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण हवा प्रदूषित हो गई है और सर्दियों के महीनों के दौरान तापमान में बदलाव के कारण प्रदूषक शहरों पर एक छत्रछाया बना लेते हैं। पेड़ कुछ हद तक इन प्रदूषकों को कम करने में सहायक होते हैं। बंजर भूमि पर वनीकरण से बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटना को भी कम किया जा सकता है।

बंजर भूमि विशेष रूप से खेती योग्य बंजर भूमि को उचित भूमि प्रबंधन प्रथाओं द्वारा उत्पादक बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि का पुनर्ग्रहण भारत के लिए एक ओर भोजन, चारे और ईंधन की उत्पादकता बढ़ाने और दूसरी ओर पर्यावरण उन्नयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पुनर्प्राप्त बंजर भूमि पर खाद्य फसलें उगाई जा सकती हैं जिससे कृषि उत्पादकता में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित होगी, जो कि केवल 3.5% की दर से पीछे है। गैर–कृषि योग्य बंजर भूमि को घास के मैदानों या छोटी वन भूमि में बदला जा सकता है जो मिट्टी को तेजी से कटाव और मिट्टी की नमी में गिरावट से बचाकर पारिस्थितिक संतुलन में सुधार कर सकता है। यह एक ही समय में चारे और ईंधन की आपूर्ति को भी बढ़ाएगा। इस प्रकार यह देहाती गतिविधि का

समर्थन करेगा जो भारत में प्रमुख चिंता के क्षेत्रों में से एक है।

बंजर भूमि विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष निकाय का गठन किया है, जिसे राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद कहा जाता है। दूसरे स्तर पर दो बोर्ड हैं: राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड (एनएलबीडी) और नैटोनल बंजर भूमि विकास बोर्ड (एनडब्ल्यूडीबी) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना मई, 1985 में एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से बंजर भूमि विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। जनभागीदारी से वनीकरण एवं वृक्षारोपण।

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने हर साल कम से कम 5 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य रखा है।

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989–90 में बंजर भूमि के एकीकृत विकास के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। दीर्घकालिक उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामान्य भलाई के लिए भूमि क्षरण और पर्यावरण संरक्षण और सतत एकीकृत विकास को रोकना था। कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. मध्यवर्ती और वन उपज का समान वितरण सुनिश्चित करने के तंत्र के माध्यम से और स्थानीय जरूरतों और भूमि क्षमता की मौजूदा स्थिति आदि के अनुसार योजनाएं तैयार करने के माध्यम से बंजर भूमि विकास में लोगों की भागीदारी।
2. क्षेत्र–विशिष्ट गतिविधियों को बढ़ावा देकर जरूरतमंद वर्ग के लिए रोजगार और आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन।
3. यदि संभव हो तो बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि, वनों और चरागाहों में विकसित करके भोजन, ईंधन और चारे की उपलब्धता बढ़ाना
4. विभिन्न श्रेणियों की समस्याग्रस्त भूमियों के उपचार हेतु सिद्ध प्रौद्योगिकियों का विस्तार एवं प्रसार।

पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के अलावा, राज्य सरकारों को तकनीकी इनपुट भी दिए जाते हैं। बंजर भूमि विकास, इसके महत्व और चल रही योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। भूमि क्षरण, उसमें परिवर्तन के बारे में जानकारी और जागरूकता हासिल करने और इस तरह के क्षरण के उपायों की योजना बनाने और खेती या जंगलों के लिए इन भूमियों को पुनः प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी बंजर भूमि की चार श्रेणियों की निगरानी करती है जिसमें वन क्षेत्र, जल जमाव वाले क्षेत्र शामिल हैं। खारा/क्षारीय क्षेत्र और रेवेनस क्षेत्र।